देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

वॉल्यूम न.– 2021/MMP/212 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | बुधवार, 10 नवम्बर 2021

विशेष रिपोर्ट-4

जेडीए ट्रिब्यूनल मे चल रही तारीख पर तारीख!!!

बिल्डर खुलेआम बेच रहा अवैध बिल्डिंग के फ्लेट्स!!!

जेडीए का दावा!!!
एक साल मे 55 अवैध ईमारतों पर लिखवाया,अवैध!!!!!

सैनी साहब,इस अवैध बिल्डिंग पर लिखवाओगे???

भूखंड संख्या 14,15,16 कृष्णा गार्डन,अक्षयपात्र के सामने,जगतपुरा पर बन कर तैयार हो चुकी अवैध इमारत "विशाल याशिका हेवंस" का मामला!!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

Case Type	JDA APPEAL		
Filing Number	911/2021	Filing Date	16-03-2021
Registration Number	161/2021	Registration Date	16-03-2021
CNR Number	RJJT130009112021 *(Note the CNR number for future reference)*		*View QR Code / Cause Title*

Case Status

First Hearing Date	18th March 2021
Next Hearing Date	10th November 2021
Case Stage	Reply of Application/ Steps by parties
Court Number and Judge	1-PO JDA Tribunal

Petitioner and Advocate

1) MANOJ KUMAR SHARMA AND OTHERS (159/21)
Advocate- ANIL KUMAR VASHISHTH

Respondent and Advocate

1) JDA
Advocate - JP GURJAR

Acts

Under Act(s)	Under Section(s)
JDA Act	83(8)(A)

Case History

Judge	Business on Date	Hearing Date	Purpose of Hearing
PO JDA Tribunal	18-03-2021	06-04-2021	Reply of Application/ Steps by parties
PO JDA Tribunal	06-04-2021	20-04-2021	Reply of Application/ Steps by parties
PO JDA Tribunal	20-04-2021	20-10-2021	Reply of Application/ Steps by parties
PO JDA Tribunal	20-10-2021	25-10-2021	Reply of Application/ Steps by parties
PO JDA Tribunal	25-10-2021	10-11-2021	Reply of Application/ Steps by parties

जेडीए ट्रिब्यूनल मे पिछले सात महीने से इस केस मे मिल रही तारीख पर तारीख!!!

9	Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (Zone-II) , Enforcement Officer - 9	, , ,	Remarks	08-Nov-2021	प्रकरण में धारा ३२ ३३ के नोटिस दिनाक १४.०३.२०२१ को जारी किया गया है जिसमे श्री मनोज शर्मा द्वारा माननिये न्यायालय अपीलिय अधिकरण में अपील संख्या १५९/२०२१ दायर की गई है जो माननिये न्यायालय में विचाराधीन है जिसमे आगामी तारीख दिनाक १० -११ -२०२१ नियत है

जेडीए प्रवर्तन द्वारा दिया गया जवाब जिसमे बताया गया कि अपीलकर्ता श्री मनोज शर्मा द्वारा दायर अपील संख्या 159/2021 पर आगामी सुनवाई 10/11/2021 को होनी है|

भास्कर खास • सर्वाधिक 13 बिल्डिंगें जोन 5 में सील कीं; इनमें हॉस्टल, लाइब्रेरी व फ्लैट्स का निर्माण

जेडीए; 1 साल में 110 करोड़ की 55 बिल्डिंगें सील.. लिखा- इमारत अवैध...ताकि फ्लैट्स की खरीद-फरोख्त न हो सके

सिटी रिपोर्टर | जयपुर

लोग अवैध बिल्डिंगों में फ्लैट न खरीदें या किराए पर न लें, इसके लिए जेडीए की नई सख्ती कारगर हो रही है। जेडीए अवैध बिल्डिंगों को सील कर बड़े अक्षरों में लिख रहा है... इमारत अवैध है। साथ ही सील की तारीख भी डाल रहा है। ऐसे में न तो भवन मालिक फ्लैट्स का सौदा कर सकता है, न ही कोई गतिविधि शुरू की जा सकती है। जेडीए ने सालभर में 110 करोड़ की 55 बिल्डिंगें सील की हैं। 13 बिल्डिंगें जोन 5 में हैं। एक बिल्डिंग सील मुक्त की गई है। इनमें हॉस्टल, लाइब्रेरी व फ्लैट्स बने हैं।

भवन निर्माण सील कर चेतावनी लिखी, दीवार भी चुनवाई

केस-1 : जोन-5 स्थित न्यू सांगानेर रोड गुर्जर की थड़ी में भूखंड 57, 60 एव 61 को मिलाकर बिना अनुमोदन बेसमेंट और तिमंजिला हॉस्टल में 66 कमरे बना लिए गए। जेडीए ने 24 दिसंबर 2019 को नोटिस दिया लेकिन भवन मालिक ने निर्माण जारी रखा। मामले में जेडीए ने निर्माण सील कर बड़े अक्षरों में चेतावनी लिखी और लिफ्ट पर दीवार चुनवा दी।

केस-2 : जेडीए ने जोन-10 के ईकोलॉजिकल जोन में जगतपुरा सीबीआई फाटक के पास नीलेश्वरी कॉलोनी में प्लाट 6 व 7 को जोड़कर बनाए पांच मंजिला निर्माण को सील किया था। बिल्डिंग सील कर नोटिस चिपका दिया। सीढ़ियों पर दीवार चुनवा कर ऊपर जाने के रास्ते बंद किए। लाल रंग से लिखवाया कि यह इमारत अवैध है, इसमें रहने की अनुमति नहीं है।

भवन मालिक ने गुपचुप फ्लैट बेचे, इसलिए सख्ती

दो साल पहले जो बिल्डिंग सील की थी, उसमें भवन मालिक ने फ्लैट बेच दिए। लोग रहने लगे तो सील भी खुलवा ली। इसके बाद जेडीए ने दीवार बनवा दी।

जेडीए की अनुमति बिना हो रहे निर्माण पर बिल्डिंग सील की जा रही है। लिफ्ट, मुख्यद्वार व कमरों के गेट पर दीवार खड़ी की जा रही है। चेतावनी भी लिख रहे हैं ताकि जानकारी लोगों को मिल सके।
- रघुवीर सैनी, मुख्य प्रवर्तक, जेडीए

जेडीए प्रवर्तन द्वारा किया जा रहा दावा जिसमे बताया गया है कि विगत एक साल मे 55 अवैध ईमारतों को सील किया गया और उनके बाहर लिखवाया गया "अवैध" है|

7 महीने पहले जब इस अवैध बिल्डिंग को धारा 32,33 के तहत नोटिस जारी किया गया था, तब इस बिल्डिंग मे कितना निर्माण हो चुका था?

आखिर कौन है इस बिल्डिंग का असली मालिक? मनोज शर्मा या कोई और?

आखिर किन किन लोगो का लगा है काला धन इस अवैध बिल्डिंग मे?

आखिर कौन है इस अवैध बिल्डिंग को बनाने वाला बिल्डर?

अब तक कितनी अवैध बिल्डिंगे बना चुका है इस क्षेत्र मे?

क्या इन्कम टेक्स इस बिल्डर द्वारा बनाई गयी अवैध बिल्डिंगों मे लगाए गए काले धन की जांच करेगा?

जेडीए के अनुसार वर्तमान मे यह मामला न्यायालय मे लंबित है जिस पर 10/11/2021 को सुनवाई होनी है!!!
क्या इस दिन सुनवाई होगी या अगली तारीख मिलेगी?